

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 1669/2024

Babu Lal

----Appellant

Versus

Lrs Of Manoj

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Jaswant Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Vishal Singhal For Mr. DS Chouhan For R-3

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

30/07/2025

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस के तामील की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है। अतः तामील पूर्ण है।

विद्वान अधिवक्तागण को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया।

उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित कारण को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई 63 दिन की देरी को माफ किया जाता है।

पक्षकारान के मध्य समझाईश से प्रकरण के निस्तारण होने की संभावना को देखते हुए प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दोनों पक्ष मध्यस्थता केन्द्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष दिनांक 13.08.2025 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

मध्यस्थता केन्द्र की रिपोर्ट के साथ पत्रावली नियमानुसार सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J